

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक

19 जून 2017

विषय:- कन्नौज में छिबरामऊ-सौरिख-बिधूना मार्ग (एमडीआर-13) किमी 0.000 से 33.100 तक 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रभावित 21.6 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 1554 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

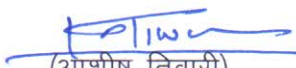
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या-8बी/यूपी/06/22/2017/एफसी/597, दिनांक 29-3-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र संख्या-2416/11-सी-कन्नौज/22835/2016,, दिनांक 26-5-2017 अपेक्षित अभिलेखों के साथ संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 26-5-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव की (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बंध में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-1202(1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।